

०६ नं० वकील प्रवर्ग ३५०/ वकील प्रवर्ग ५१० पर
Not दिख करे हैं। लिहला प्रवर्गना-पर प्रवर्ग
वकील प्रवर्ग का नोट-प्रेस करने के आध्याय पर
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तथा
न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्वार्थ निवेदन
दिनांक ०५.११.२०२० को निरस्त किया जाता
है। पत्रावली फौजदारी में शुमार होकर मूल का
संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

